

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जालौन स्थान उरई

सेवा में,

1. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उरई जनपद जालौन
2. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, कोंच जनपद जालौन
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, कालपी जनपद जालौन
4. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जालौन जनपद जालौन
5. अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर पंचायत अन्ध्र प्रदेश

पत्रांक—मु0चि0अ0/रा0तम्बाकू नियं0कार्य0/2021-22/ 1890 दिनांक - 3 /07/2021
विषय :- सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और वाणिज्य कर उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम-2003 में निहित प्राविधानों के दृष्टिगत तम्बाकू उत्पाद के विक्रय हेतु जनपद के समस्त नगर पालिका क्षेत्रों में वेण्डर लाइसेंसिंग की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक—राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021-22/8927 दिनांक 14/06/2021 के क्रम में उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम-1959 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-2 सन-1950) की धारा-437, धारा-438 की उपधारा (1) के खण्ड-(घ), धारा-452 और धारा -541 के खण्ड (20), (41) और (49) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और वाणिज्य कर उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम-2003 (सी0ओ0टी0पी0ए0-2003) के दृष्टिगत जनपद के नगर पालिका द्वारा सभी क्षेत्रों में वेण्डर लाइसेंसिंग की व्यवस्था लागू किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

अतः आप नगर पालिका क्षेत्र में वेण्डर लाइसेंसिंग की व्यवस्था लागू करने का कष्ट करें।

संलग्नक—गाइडलाइन की छायाप्रति।

भवदीय

(डॉ० ऊषा सिंह)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जालौन स्थान उरई

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जालौन।
4. उपमहाप्रबंधक, एन0सी0डी0, एस0पी0एम0यू0, उ0प्र0 लखनऊ।
5. नोडल अधिकारी (एन0सी0डी0), जालौन स्थान उरई।
6. अधिशासी निदेशक, यू० पी० पी० एच० ए०, लखनऊ।

(डॉ० ऊषा सिंह)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जालौन स्थान उरई